न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

मुकदमा नम्बर :– 101/2025
निर्णय दिनांक :– 30.10.2025
पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

1. सीताराम खटीक पुत्र नाथूलाल खटीक, जाति खटीक निवासी ग्राम मैंदवास तहसील फागी जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. नानगराम पुत्र छीतरमल जाति कोली निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता:– श्री नेतराम जाट अधिवक्ता वादी
श्री गोविन्द सिंह पंवार अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1

वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक:– 30.10.2025

वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि इस न्यायालय द्वारा पूर्व मे विवादग्रस्त आराजी वाके ग्राम फागी पश्चिम के सम्बन्ध मे दिनांक 17.04.2025 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री किया जाकर तहसीलदार फागी को निर्णय व डिक्री की प्रति भेजकर नक्शा व कुरेजात दो दो प्रतियों में भिजवाने हेतु लिखा गया। तहसीलदार फागी द्वारा अपने पत्र क्रमांक/LR/25/1841 दिनांक 20.05.2025 के द्वारा नक्शे – कुर्रेजात प्रस्तुत किये गये। प्रस्तुत नक्शा व कुर्रेजात का अवलोकन वकील वादी व वकील प्रतिवादीगण को कराया गया। वकील वादीया ने नक्शा कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रकट की। वादी के अधिवक्ता का कथन है कि राजस्व कार्मिकों द्वारा दौराने नक्शे कुर्रेजात तैयार करने वक्त वादी प्रतिवादी मौके पर मौजूद नहीं थे। प्रतिवादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में कुर्रेजात को मौके व कब्जे अनुसार सही बताया। वादी व प्रतिवादी दोनों को ही उक्त भूमि को खरीद(क्रेता) के तौर पर उक्त भूमि को खातेदार बताया। तथा कब्जेनुसार ही राजस्व कार्मिकों द्वारा नियमों की पालना करते हुए नक्शे कुरेजात तैयार किये है। एवं कुरेजात तैयार किये है। एवं कुरेजात तैयार करते वक्त गवाह एवं वादी प्रतिवादी भी मौके पर मौजूद थे।

पत्रावली एवं नक्शा–कुर्रेजात का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। उपलब्ध रिकॉर्ड अनुसार नक्शे मौके पर वादी सीताराम के हस्ताक्षर प्रमाणित है जिसे वादी के अधिवक्ता के पहचान की। गवाहान के हस्ताक्षर भी नक्शे–कुर्रेजात पर हाजिर है। उक्तानुसार यह स्पष्ट है कि कुर्रेजात बनाते वक्ता वादी मौके पर उपस्थित थे।

लगातार.................2

उपखण्ड अधिकारी
फागी

अतः वादी अधिवक्ता की आपत्ति खारिज की जाती है। एवं मुताबिक तहसीलदार फागी **द्वारा भिजवाये गये नक्शा कुरे**जात वादी का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना उचित समझते **है।**

आदेश

अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान **फेटबन्दी किये** जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक निर्णय डिक्री पर्चा जारी हो। मुताबिक **निर्णय व** डिकी राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से **कम हो।**

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1	नानगराम पुत्र छीतरमल जाति कोली सा0 देह खातेदार	6087 / 2 / 1	0.2023	बारानी 2	0.20
	योग	किता 1	0.2023 हैक्टेयर		
2	सीताराम खटीक पुत्र नाथूलाल खटीक जाति खटीक सा. मेंदवास तहसील फागी खातेदार	6087 / 2 / 2	0.2023	बारानी 2	0.20
	योग	किता 1	0.2023 हैक्टेयर		

सत्यमेव जयते

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

सीताराम बनाम नानगराम वगै0
मु0न0:— 101 / 2023
निर्णय दिनांकः— 30.10.2025

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6—7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत— उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

बइजलास— राकेश कुमार II (आर.ए.एस.)

उनवान

1 **सीताराम** खटीक पुत्र नाथूलाल खटीक, जाति खटीक निवासी ग्राम मैंदवास तहसील **फागी** जिला जयपुर राज.।

वादी

बनाम

1. नानगराम पुत्र छीतरमल जाति कोली निवासी फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
2. तहसीलदार फागी तहसील फागी जिला जयपुर।
3. उपपंजीयक फागी तहसील फागी जिला जयपुर।

प्रतिवादीगण

::— वाद तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा ::—

मु0न0:— 101 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू वकील वादी श्री नेतराम जाट हाजिर रूबरू वकील प्रतिवादीगण श्री गोविन्द सिंह पंवार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर पेश होकर हुक्म दिया जाता है **अतः वादी का वाद निम्नानुसार डिक्री किया जाता है तथा इसी अनुसार लगान फेटबन्दी किये जाने के आदेश दिये जाते है। नक्शा — कुरेजात निर्णय डिक्री के पार्ट होगे।**

निज....................मुबलिग...बाबत........................
.....................................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह..
फीसदी............सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक........... का अदा करे।
बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 30.10.2025 को जारी की गई।

दस्तखत...................
उपखण्ड अधिकारी फागी

मुहर

ओहदा...................

मुदई	रूपये	पैसे	मुदायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प अर्जी महन्ताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमीश्नर बबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

कृ0प0उ0

उपखण्ड अधिकारी फागी

सीताराम बनाम नानगराम वगै0
मु0न0:— 101 / 2023
निर्णय दिनांक:— 30.10.2025

क्र. स	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नम्वर	रकवा	किस्म	लगान
1	नानगराम पुत्र छीतरमल जाति कोली सा0 देह खातेदार	6087 / 2 / 1	0.2023	बारानी 2	0.20
	योग	किता 1	0.2023 हैक्टेयर		
2	सीताराम खटीक पुत्र नाथूलाल खटीक जाति खटीक सा. मेंदवास तहसील फागी खातेदार	6087 / 2 / 2	0.2023	बारानी 2	0.20
	योग	किता 1	0.2023 हैक्टेयर		

निर्णय आज दिनांक 30.10.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/X/25

(राकेश कुमार II)
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी

सत्यमेव जयते